

22.12.2022 को आयोजित क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसईजेड की यूएसी बैठक का कार्यवृत्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

22.12.2022 को दोपहर 02.00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड (SEZ) की अध्यक्षता में आयोजित मोहाली/चंडीगढ़ निजी क्षेत्र में एसईजेड (SEZ) की इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) का कार्यवृत्त हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री सुरेंद्र मलिक, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड, नोएडा
2. श्री उत्पल आचार्य, आईटीएस, संयुक्त डीजीएफटी (DFGT), लुधियाना
3. श्री वरुण सिंगला, आईआरएस, उपायुक्त सीमा शुल्क, चंडीगढ़।
4. सुश्री मोआतेनला, आईआरएस, संयुक्त आयकर आयुक्त, एयू-1(4), शिमला।

इसके अलावा, बैठक के दौरान यूएसी की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे

- i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड
- ii) श्री करण गोयल, सहायक विकास आयुक्त,
- iii) सुश्री वैशाली चंडोक, निर्दिष्ट अधिकारी
- iv) श्री मलकीत सिंह, प्राधिकृत अधिकारी और
- v) सुश्री शर्ली सूद, प्राधिकृत अधिकारी

क्योंकि गणपूर्ति उपलब्ध था, बैठक कार्यसूची के अनुसार क्रमिक रूप से आगे बढ़ी। प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यसूची मद संख्या 1:-

विषय: दिनांक 09.09.2022 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

राजेश

1.1 समिति को सूचित किया गया था कि 09.09.2022 को आयोजित यूएसी के निर्णयों के खिलाफ समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए, 09.09.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

कार्यसूची मद संख्या 2:-

2.1 विषय: नई इकाई की स्थापना के लिए प्रस्ताव - मैसर्स एपिइन्फोइंक ट्रेफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - के संबंध में।

2.1 समिति को सूचित किया गया था कि मैसर्स एपिइन्फोइंक ट्रेफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसईजेड) के परिसर में फॉर्म 'एफ' में निर्धारित एसईजेड नियम, 2006 के नियम 17 के अनुसार एसईजेड इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था।

2.2 समिति को यह सूचित किया गया था कि इकाई 17.03.2017 को निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्रस्तावित प्राधिकृत संचालन i) सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, विकास, अनुकूलन, कार्यान्वयन, रखरखाव, परीक्षण और बेंचमार्किंग, डिजाइनिंग, विकास और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और समाधान में काम करना, ii) माइक्रोप्रोसेसर आधारित सूचना प्रणाली, अपतटीय सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं, इंटरनेट सेवा प्रदाता [सीपीसी कोड 842] के लिए सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का विकास, प्रदान, उपक्रम, डिजाइन, आयात, निर्यात, वितरण और सौदा करना थे।

2.3 इकाई ने रु.13.32 लाख के संयंत्र और मशीनरी के आयात की परिकल्पना की है। 5 वर्ष की अवधि में निर्यात के लिए प्रक्षेपण और एनएफई (NFE) 717.05 लाख रुपये हैं।

2.4 प्रपत्र 'एफ' में कुछ अवलोकन थे जो इस प्रकार हैं:-

(A) फॉर्म - 'एफ' ऑनलाइन जमा नहीं किया गया है और इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधियत हस्ताक्षरित ऑनलाइन फॉर्म-एफ की मुद्रित प्रति जमा नहीं की गई है।

(B) फॉर्म-एफ के पैरा-V में उल्लिखित सेवाओं का विवरण और परियोजना रिपोर्ट में अलग-अलग हैं।

(C) अवसंरचना आवश्यकताएं पैरा संख्या VIII में गलत कॉलम में भरी गईं ।

2.5 इकाई के निदेशक श्री विजय कुमार, प्रस्ताव के बारे में स्पष्टीकरण, देने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कमी पाई गई सूचना/दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

3.2.2 इकाई ने अपने पत्र दिनांक 16 दिसंबर, 2022 के द्वारा क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

इकाई का नाम	मैसर्स कांगरूएक्स एशिया पैसिफिक एलएलपी (LLP)		
एलओए नंबर और तारीख	LOA No क्यूएसईजेड (QSEZ)/इकाई/04/04/2017/584 दिनांक 27.12.2017।		
प्रारंभ होने की तिथि	29.12.2017		
एलओए की वैधता	28 दिसंबर, 2027		
क्या बांड-सह-एल्यूटी प्राप्त/स्वीकृत है	हां		
इकाई का वर्तमान स्वीकृत क्षेत्र और स्थान	47322 वर्गफुट 12वीं मंजिल		
विलोपन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र	19146 वर्गफुट 12वीं मंजिल		
क्या प्रस्तावित क्षेत्र को हटाने के लिए एसईजेड (SEZ) विकासक की अनापत्ति प्रस्तुत की गई है	हां, इकाई ने क्षेत्र को हटाने के लिए एसईजेड (SEZ) विकासक से दिनांक 08 दिसंबर, 2022 को दो अनापत्ति पत्र जमा किए हैं		
क्षेत्र में कमी के कारण	मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण, कर्मचारियों को व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए घर से काम करने की अनुमति दी गई थी, इसके अलावा, 90% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति एसईजेड (SEZ) नियमों 2006 के नियम 43ए के तहत विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई थी। हमारे वित्तीय अनुमान और परिचालन की प्रकृति अपरिवर्तित बनी हुई है।		
क्षेत्र में कमी के कारण अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो	अनुमानों में कोई बदलाव नहीं।		
वर्तमान ब्लॉक के दौरान इकाई का वर्षवार प्रदर्शन (एपीआर के अनुसार)	(रुपये लाख में)		
	वर्ष	एफओबी	एनएफई
	2019-20	4033.72	4033.72
	2020-21	6995.19	6995.19
	2020-21	14687.63	14687.63
रोज़गार	1936		

3.2.3 विकासक ने दिनांक 08.12.2022 के अपने पत्र द्वारा एसईजेड (SEZ) इकाई के क्षेत्र में आंशिक विलोपन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी (NOC) दिया है।

3.2.4 इकाई ने एसईजेड (SEZ) इकाई के क्षेत्र में विलोपन के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क) से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।

3.2.5 श्री डेविस मथाई, उपाध्यक्ष संचालन और एसईजेड (SEZ) इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रस्ताव की व्याख्या करने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि इकाई प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करेगी।

3.2.6 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, टिप्पणियों और कमियों के सुधार पर स्पष्टीकरण के अधीन, एसईजेड (SEZ) इकाई के क्षेत्र में आंशिक विलोपन के लिए इकाई के अनुरोध को मंजूरी दी।

कार्यसूची मद संख्या 4:-

विषय: - इनपुट सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव - मैसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड सह -
विकासक - के संबंध में;

4.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक) ने पत्र दिनांक 29 नवंबर, 2022 द्वारा निम्नलिखित इनपुट सेवाओं के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है: -

क्र.सं.	सैक (SAC) कोड	सैक (SAC) सेवा विवरण	प्रयोजन/उपयोग
1.	997221	शुल्क/कमीशन के आधार पर या अनुबंध के आधार पर संपत्ति प्रबंधन सेवाएं	एसईजेड (SEZ) सह-विकासक होने के नाते, हमारे अधिकृत संचालन परिसर को विभिन्न एसईजेड इकाइयों को पट्टे पर दे रहे हैं। रियल एस्टेट एजेंट एसईजेड परिसर को विभिन्न एसईजेड (SEZ) इकाइयों को पट्टे पर देने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए, एसईजेड सह-विकासक के अधिकृत संचालन के लिए रियल एस्टेट एजेंट सेवाओं की बहुत आवश्यकता है।
2.	997222	शुल्क/कमीशन के आधार पर या अनुबंध के आधार पर भवन बिक्री	

4.2 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया था कि वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या एफ.सं.डी.12/19/2013-एसईजेड (SEZ) दिनांक 19 नवंबर, 2013 के द्वारा सेवाओं की एक सूची को

21/जेव

अनुमोदित किया था जिससे सभी इकाईयों को अनुमोदन समिति (UAC) के डिफॉल्ट अधिकृत सेवाओं की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, इस अधिसूचना के पैरा 3 में, यह उल्लेख किया गया है कि अन्य सेवाएं जो समान सूची में शामिल नहीं हैं, यूएसी (UAC) द्वारा योग्यता के आधार पर तय की जा सकती हैं।

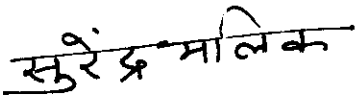
4.3 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया था कि मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक) को इस कार्यालय के पत्र संख्या F-2/7/2005-SEZ/2005/480 दिनांक 31 मार्च, 2016 के माध्यम से रियल एस्टेट एजेंट सेवाओं के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह अनुमोदन जीएसटी (GST) के कार्यान्वयन से पहले प्रदान किया गया था।

4.4 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया था कि वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या फाइल संख्या डी 12/19/2013-एसईजेड (SEZ) दिनांक 2 जनवरी, 2018 के माध्यम से पूर्व में अनुमोदित डिफॉल्ट अधिकृत संचालन को दोहराया है।

4.5 सह-विकासक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जतिंदर सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। हालांकि, वह कारण बताने में असमर्थ थे कि दूसरी सेवा (एसएसी 997222) एसईजेड (SEZ) अधिनियम और नियमों के दायरे में क्यों आती है।

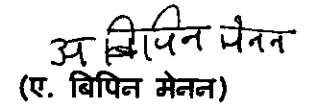
4.6 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद सह-विकासक को एक इनपुट सेवा के रूप में केवल "संपत्ति प्रबंधन सेवाओं" (एसएसी कोड 997221) को जोड़ने की मंजूरी दी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त